न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 134 / 2022

प्रार्थीगण :—

1. लालाराम पुत्र निम्बाराम
2. गोवाराम पुत्र निम्बाराम
3. छगना पुत्र तुलछा
4. होती पुत्र तुलछा
5. पांचा पुत्र तुलछा
6. जतनो पत्नी तुलछा फौत के कायम कुमार वारिसान प्रार्थी संख्या 2 से 4 रेकर्ड पर हैं
7. तेजा पुत्र लाध
8. दर्गी पत्नी निम्बाराम
9. दाना पुत्र निम्बाराम
10. पुरखा पुत्र माना
11. प्रभुराम पुत्र निम्बाराम
12. मोटा पुत्र लाधा
13. रूखमो पत्नी लाधा
14. वालाराम पुत्र निम्बाराम
15. वीरमा पुत्र लाधा
16. शंकर पुत्र लाधा
17. हिन्दू पुत्र लाधा
    जाति कलबी निवासी जूनी उन्दरी तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :—

1. जवानाराम पुत्र धनाराम कौम सुथार
2. मोन पुत्र जूंजा
3. शंकरा पुत्र जूंजा
4. जोगा पुत्र पेमा
5. आसू पुत्र करना जातियान रबारी
6. गोदा पुत्र दुर्गा
7. दला पुत्र दुर्गा
8. होती पुत्र तगा
9. परबता पुत्र चेला जातियान कलबी
   निवासी जूनी उन्दरी तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी / नौखड़ा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **विप्रार्थीगण — एकतरफा**

—:: आदेश ::—

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:55:32 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :— 11.10.2022

प्रार्थीगण [illegible] अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधि[illegible] पैमाईश जरिये पत्थर[illegible] का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्र[illegible]ण दर्ज कर विप्रार्थीग[illegible] जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
गुडामालानी

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी की
बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत
अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2071–2074 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से
स्थायी सरहद मौजा जूनी उन्दरी के खेत खसरा नम्बर 374 / 174 रकबा 8.
2718 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का
नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व
पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व
विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे
बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते
है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का
सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत
नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज
होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता
है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार
नौखडा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में
विवादित खसरा सरहद मौजा जूनी उन्दरी के खेत खसरा नम्बर 374 / 174
रकबा 8.2718 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर
पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार
नौखडा को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर
शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार
नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस
इमदाद प्राप्त करने हेतु [illegible] किया जाता है। तहसीलदार नौखडा बाद
पालना, पालना [illegible] तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन
प्राप्त होने पर शामिल [illegible] पत्रावली फैसल सुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11/10/22 को खुले न्यायालय
सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:55:32 IST
Reason: SelfAttested